तारीख/हुक्म हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 129/2016

सरिता बनाम विनोद

दिनांक–25.08.2025

अधिवक्ता वादी श्री सर्वेश सारस्वत व अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री प्रमोद कुमार मोदी, श्री रजनीश महला व श्री जय कौशिक उपस्थित। वादीगण द्वारा जरिये मुख्त्यार विकास पौद्दार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 13 नियम 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर उभयपक्ष को सुना जा चुका है।

बहस के दौरान प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा अपने लिखित कथन में वादग्रस्त संपत्ति के संदर्भ में पूर्व में चले विभाजन के वाद शीर्षक सज्ञन गोपाल बनाम श्रीकृष्ण का उल्लेख किया गया है जो कि न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर के समक्ष विचाराधीन था तथा निर्णय दिनांक 08.09.1994 को हो चुका है। उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थीगण के पक्षकार नहीं होने से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री प्रार्थीगण पर लागू नहीं है किन्तु उपर्युक्त निर्णय एवं डिक्री के संदर्भ में प्रतिवादीगण द्वारा अपनी प्रतिरक्षा का आधार बनाया गया है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त पत्रावली को तलब किया जाना आवश्यक है जिससे प्रकरण में युक्तियुक्त विनिश्चय किया जा सके। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद संख्या 82/1987 शीर्षक सज्ञन गोपाल बनाम श्रीकृष्ण निर्णय दिनांक 08.09.1994 की पत्रावली को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर से तलब किया जावे।

उपर्युक्त तर्कों के खण्डन में अधिवक्ता अप्रार्थीगण /प्रतिवादीगण द्वारा तर्क दिया गया है कि वांछित पत्रावली के संबंध में प्रारंभिक डिक्री पारित की जा चुकी है किन्तु अंतिम डिक्री पारित नहीं की गई है जिससे पत्रावली विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त पत्रावली से सुसंगत दस्तावेज स्वयं प्रार्थीगण भी पेश करने में सक्षम हैं किन्तु साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अपने मूल वाद में उपर्युक्त पत्रावली के दस्तावेजों का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि

25.08.2025

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर) राज.

तारीख हुक्म	हुक्म या कायर्वाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अह जो इस हुक्म की त में जारी हुए

न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 129/2016

सरिता बनाम विनोद

हस्तगत वाद हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति के विभाजन से संबंधित है एवं प्रश्नगत पत्रावली में दिनांक 08.09.1994 के निर्णय का इस पत्रावली पर क्या प्रभाव है, इस संबंध में विवाद्यक भी विरचित किया गया है किन्तु उपर्युक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर है। इसके अतिरिक्त वांछित पत्रावली में विचारण न्यायालय में सन 1994 में प्रारम्भिक डिक्री पारित होना उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है ऐसी स्थिति में उपर्युक्त पत्रावली से सुसंगत दस्तावेज वाद संस्थित किये जाने के समय अथवा उसके बाद किसी भी समय प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त कर पेश किये जा सकते थे किन्तु प्रार्थीगण द्वारा इन सुसंगत दस्तावेजों को प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है एवं ना ही हस्तगत प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि वे कौनसे दस्तावेज हैं जिनको वे हस्तगत प्रकरण में सुसंगत मानते हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में वर्णित वांछित पत्रावली में से सुसंगत दस्तावेज प्राप्त कर पेश करने के अवसर प्रार्थी के पास उपलब्ध होने तथा अत्यधिक विलम्ब से बिना किसी विशिष्ट दस्तावेज का उल्लेख किये प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाना न्यायोचित नहीं पाये जाने से प्रार्थीगण/ वादीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 13 नियम 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

वादीगण द्वारा जाहिर किया गया है कि उनके घर में कुछ धार्मिक कार्य चल रहे हैं एवं उनके द्वारा जयपुर से आकर प्रकरण में उपस्थिति दी जाती है साथ ही उनके पक्षकार बोम्बे में निवास करते हैं इसलिए न्यायहित में साक्षी की परीक्षा हेतु आगामी दिनांक 08.09.2025 नियत की जावे। उपर्युक्त तारीख नियत किये जाने पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई। अतः उभयपक्ष की सहमति से पत्रावली टारगेटेड होने के बावजूद न्यायहित में साक्ष्य वादीगण हेतु दिनांक 08.09.2025 को नियत की जाती है।

25.08.2025

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर) राज.